उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
"वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा" शक्ति भवन विस्तार,
चतुर्थ तल, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।
फोन नं0 : 0522–22878696

पत्रांक : उ0प्र0मु0अभि0 (वाणिज्य–II)/रेड इकाई/डिस्काम, दिनांक : 04/07/2018

ई–मेल प्रबन्ध निदेशक,
मध्यॉचल/पूर्वान्चल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल
विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।

प्रबन्ध निदेशक,
केस्को,
कानपुर।

महत्वपूर्ण

विषय :–वितरण क्षेत्रों में रेड्स की कार्यवाही सम्पादित किये जाते समय कार्मिकों के साथ अभद्रता एवं मारपीट की घटना की स्थिति में प्रशासन स्तर से प्रभावी कार्यवाही कराये जाने हेतु अनुश्रवण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि उ0प्र0 सरकार द्वारा विद्युत चोरी करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने की मंशा के अनुरूप विद्युत वितरण निगमों द्वारा अपने नियन्त्रणाधीन क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाये जा रहे हैं। विभिन्न वितरण निगमों के नियन्त्रणाधीन वितरण क्षेत्रों के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा विद्युत चोरी पर अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से की जा रही रेड्स (छापों) की कार्यवाही सम्पादित किये जाते समय, विद्युत चोरी करने वालों एवं अन्य असामाजिक तत्वों द्वारा कार्यवाही का विरोध किये जाने तथा किन्ही मामलों में उग्र व हिंसक विरोध किये जाने की घटनायें सामने आयी हैं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अपने अर्द्धशासकीय पत्रांक संख्या–138/पीएससीएच/18 दिनांक 30.04.2018 के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वितरण निगमों के नियन्त्रणाधीन क्षेत्रों में रेड की कार्यवाही सम्पादित किये जाते समय सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं के अनुरोध पर पर्याप्त पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

उपर्युक्त सम्बन्ध में विभिन्न वितरण क्षेत्रों में विद्युत चोरी रोकने हेतु योजनाबद्ध रूप से सफलतापूर्वक रेड की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है एवं रेड कार्यों में लगे कार्मिकों को सुरक्षा प्रदान करना भी आवश्यक है, जिससे कार्मिकों के मनोबल पर किसी प्रकार का प्रतिगामी प्रभाव न पड़े। वितरण निगमों के नियन्त्रणाधीन किसी क्षेत्र में रेड की कार्यवाही सम्पादित किये जाते समय यदि विभागीय कार्मिकों के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा अभद्रता अथवा किसी प्रकार की हिंसा की जाती है तो उस सम्बन्ध में विभाग द्वारा पुलिस एवं जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर हिंसा करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु समन्वय किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में:–

1. सम्बन्धित विद्युत वितरण मण्डल के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) के आधार पर शीघ्र प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक समन्वय स्थापित किया जाये।

2. अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता (वितरण क्षेत्र) द्वारा जिला प्रशासन से आवश्यक सम्पर्क किये जाने के बावजूद भी प्रभावी कार्यवाही न होने की स्थिति में, वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक एवं निदेशक (वाणिज्य); जिला एवं पुलिस प्रशासन के स्तर से प्रभावी कार्यवाही हेतु सम्पर्क/समन्वय करेंगे।

3. अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), सम्पूर्ण घटना क्रम के सम्बन्ध में वितरण निगम के निदेशक (वाणिज्य) को अवगत कराते हुये **संलग्न प्रपत्र** के अनुसार घटना का विवरण मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य–द्वितीय) को ई–मेल (cemduppcl@gmail.com तथा backofficeuppcl@gmail.com पर) के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य–द्वितीय) द्वारा इस सम्बन्ध में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 मुख्यालय/अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता) को वस्तुस्थिति अवगत कराते हुये अपेक्षित कार्यवाही हेतु अनुरोध किया जायेगा।